न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 414 / 2024 दायर दिनाँक 09.12.2024

वादी

1. अयुब पुत्र मुन्शी जाति भाट मुसलमान निवासी मल्लाबासनी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मुन्शी पुत्र अब्दु
2. हबीबन पत्नी मुन्शी
3. हबीब पुत्र मुन्शी
4. रजब पुत्र मुन्शी
5. मजीद पुत्र मुन्शी
6. भंवरी पुत्री मुन्शी समस्त जाति भाट मुसलमान निवासीगण मल्लाबासनी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन
7. प्रबंधक यूको बैंक, शाखा डीडवाना
8. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.Act. में

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः–

1. श्री जयप्रकाश, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 12.01.2026

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 17.03.2025 को पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी द्वारा एक मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादी ने मौजा मल्लाबासनी में पैतृक खेत खसरा संख्या 219 रकबा 1.5400 है. में से सम्भावित हित रोशनल शेयर मुस्लिम उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत की घोषणा कराने [illegible] बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा [illegible] खेत प्रतिवादी संख्या एक के नाम बहैसियत खातेदार [illegible] दर्ज है तथा कब्जा [illegible] प्रतिवादी संख्या एक का [illegible] संख्या एक का जायन्दा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:07:28 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

है तथा वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपरोक्त खेत की भूमि पैत्रिक पुश्तैनी कथित करते हुए हस्तगत दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 1.5400 है. भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार जब तक पिता जीवित है तब तक उसके वारिसान का उसकी स्व–अर्जित या पैत्रिक खातेदारी में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहता है। मुस्लिम विधि में जन्म के आधार पर पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहता है। मुस्लिम विधि में पैत्रिक सम्पति की अवधारणा नहीं होने से हस्तगत दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय रेवन्यु बोर्ड अजमेर द्वारा आर.आर.टी. 2017(2) पेज संख्या 803 बअनुवान हसन बनाम रूकसाना वगैराह में अभिनिर्धारित किया गया है। वादी ने अपने पिता जीवित रहते हुए मुस्लिम उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है जो कतई चलने योग्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का जवाब पेश नहीं किये जाने पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 07.01.2026 को जवाब बंद किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी दौराने बहस अनुपस्थित। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि मुस्लिम विधि के अनुसार जब तक पिता जीवित है तब तक उसके वारिसान का उसकी स्व–अर्जित या पैत्रिक खातेदारी में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहता है। मुस्लिम विधि में जन्म के आधार पर पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहता है। मुस्लिम विधि में पैत्रिक सम्पति की अवधारणा नहीं होने से हस्तगत दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोनकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। प्रतिवादी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार जब तक पिता जीवित है तब तक उसके वारिसान का उसकी स्व–अर्जित या पैत्रिक खातेदारी में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहता है। प्रतिवादी अधिवक्ता के उक्त कथन से न्यायालय सहमत है। वादी का वाद BARRED BY LAW होने पर खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन [illegible] पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादिया खारीज किया जाता है।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:07:28 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रतिवादी संख्या 1, व 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादीया का वाद परिपोषणीय नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 12.01.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:07:28 IST
Reason: SelfAttested